

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12/9/2013

का.आ. _____ (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 सितंबर, 2013 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-


क्रम सं.	धारा
1.	धारा 2 खंड (1) ; खंड (3) से खंड (6) (दोनों सहित) ; खंड (8) से खंड (12) (दोनों सहित) ; खंड (14) से खंड (22) (दोनों सहित) ; खंड (24) से खंड (28) (दोनों सहित) ; खंड (29) [उपखंड (iv) के सिवाय] ; खंड (30) ; खंड (32) से खंड (40) (दोनों सहित) ; खंड (43) से खंड (46) (दोनों सहित) ; खंड (49) से खंड (61) (दोनों सहित) ; खंड (63) से खंड (66) (दोनों सहित) ; खंड (67) [उपखंड (ix) के सिवाय] ; खंड (68) से खंड (82) (दोनों सहित) ; खंड (84) ; खंड (86) ; खंड (87) ; [परंतुक और स्पष्टीकरण (घ) के सिवाय] ; खंड (88) और खंड (89) ; खंड (90) से खंड (95) (दोनों सहित) ;
2.	धारा 19 ;
3.	धारा 21 ;
4.	धारा 22 ;
5.	धारा 23 [उपधारा (1) का खंड (ख) और उपधारा (2) के सिवाय] ;
6.	धारा 24 ;

क्रम सं.	धारा
7.	धारा 25 [उपधारा (3) के सिवाय] ;
8.	धारा 29 से धारा 32 (दोनों सहित) ;
9.	धारा 33 [उपधारा (3) के सिवाय] ;
10.	धारा 34 ;
11.	धारा 35 [उपधारा (1) के खंड (ड) के सिवाय] ;
12.	धारा 36 से 38 (दोनों सहित) ;
13.	धारा 39 [उपधारा (4) के सिवाय] ;
14.	धारा 40 [उपधारा (6) के सिवाय] ;
15.	धारा 44 और धारा 45 ;
16.	धारा 49 से धारा 51 (दोनों सहित) ;
17.	धारा 57 से धारा 60 (दोनों सहित) ;
18.	धारा 65 ;
19.	धारा 69 ;
20.	धारा 70 [उपधारा (2) के सिवाय] ;
21.	धारा 86 ;
22.	धारा 91 ;
23.	धारा 100 [उपधारा (6) के सिवाय] ;
24.	धारा 102 ;
25.	धारा 103 ;
26.	धारा 104 ;
27.	धारा 105 [उपधारा (1) के तीसरे और चौथे परंतुक और उपधारा (7) के सिवाय] ;
28.	धारा 106 ;
29.	धारा 107 ;

क्रम सं.	धारा
30.	धारा 111 ;
31.	धारा 112 ;
32.	धारा 113 [उपधारा (1) के खंड (ख) के सिवाय] ;
33.	धारा 114 ;
34.	धारा 116 ;
35.	धारा 127 ;
36.	धारा 133 ;
37.	धारा 161 [उपधारा (2) के सिवाय] ;
38.	धारा 162 और धारा 163 ;
39.	धारा 176 ;
40.	धारा 180 से धारा 183 (दोनों सहित) ;
41.	धारा 185 ;
42.	धारा 192 ;
43.	धारा 194 ;
44.	धारा 195 ;
45.	धारा 202 ;
46.	धारा 379 ;
47.	धारा 382 और धारा 383 ;
48.	धारा 386 [उपखंड (क) के सिवाय] ;
49.	धारा 394 ;
50.	धारा 405 ;
51.	धारा 407 से धारा 414 (दोनों सहित) ;

क्रम सं.	धारा
52.	धारा 439 ;
53.	धारा 443 से धारा 453 (दोनों सहित) ;
54.	धारा 456 से धारा 463 (दोनों सहित) ;
55.	धारा 467 से धारा 470 (दोनों सहित)

[फा.सं.1/15/ 2013-सीएल. v]


रेणुका कुमार
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section -(ii)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the 12th Sep 2013

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 12th day of September, 2013 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely :-

SL. No.	Section
1.	Section 2 clause (1); clauses (3) to (6) (both inclusive); clauses (8) to (12) (both inclusive); clauses (14) to (22) (both inclusive); clauses (24) to (28) (both inclusive); clause (29) [except sub-clause (iv)]; clause (30); clauses (32) to (40) (both inclusive); clauses (43) to (46) (both inclusive); clauses (49) to (61) (both inclusive); clauses (63) to (66) (both inclusive); clause (67) [except sub-clause (ix)]; clauses (68) to (82) (both inclusive); clause (84); clause (86); clause (87) [except the proviso and Explanation (d)], clauses (88) and (89); clauses (90) to (95) (both inclusive);
2.	Section 19;
3.	Section 21;

SL. No.	Section
4.	Section 22;
5.	Section 23 [except clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2)];
6.	Section 24;
7.	Section 25 [except sub-section (3)];
8.	Sections 29 to 32 (both inclusive);
9.	Section 33 [except sub-section (3)];
10.	Section 34;
11.	Section 35 [except clause (e) of sub-section (1)];
12.	Sections 36 to 38 (both inclusive);
13.	Section 39 [except sub-section (4)];
14.	Section 40 [except sub-section (6)];
15.	Sections 44 and 45;
16.	Sections 49 to 51 (both inclusive);
17.	Sections 57 to 60 (both inclusive);
18.	Section 65;
19.	Section 69;
20.	Section 70 [except sub-section (2)];
21.	Section 86;
22.	Section 91;
23.	Section 100 [except sub-section (6)];
24.	Section 102;
25.	Section 103;
26.	Section 104;
27.	Section 105 [except the third and fourth proviso of sub-section (1) and sub-section (7)];
28.	Section 106;
29.	Section 107;
30.	Section 111;
31.	Section 112;

Sl. No.	Section
32.	Section 113 [except clause (b) of sub-section (1)];
33.	Section 114;
34.	Section 116;
35.	Section 127;
36.	Section 133;
37.	Section 161 [except sub-section (2)];
38.	Sections 162 and 163;
39.	Section 176;
40.	Sections 180 to 183 (both inclusive);
41.	Section 185;
42.	Section 192;
43.	Section 194;
44.	Section 195;
45.	Section 202;
46.	Section 379;
47.	Sections 382 and 383;
48.	Section 386 [except clause (a)];
49.	Section 394;
50.	Section 405;
51.	Sections 407 to 414 (both inclusive);
52.	Section 439;
53.	Sections 443 to 453 (both inclusive);
54.	Sections 456 to 463 (both inclusive);
55.	Sections 467 to 470 (both inclusive).

[File No. 1 / 15 /2013-CL. V]



RENUKA KUMAR,
Joint Secretary to the Government of India